आवेदक विभाग का मांग पत्र

मेसर्स रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा बसार वनमंडल के अंतर्गत जगदलपुर से भानपुरी तक लगभग 39.48 कि.मी. लम्बाई पर आप्टिकल फायबर केंबल बिछाने हेतु संरक्षित बनभूमि कक्ष क्रमांक 1428, 1086 एवं 1071 रकबा 0.296 हेक्टर आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 1718, 1333, 1334, एवं 1335 रकबा 0.153 हैं. राजस्व वनभूमि खसरा क्रमांक 283, 23, 21, 7, 34, 1, 454/1, 696, 698, 235/1, 417, 132, 1, 85, 513, 514, 503, 432, 429, 413, 228, 443, 445 रकबा 0.250 हैं. रकबा आवश्यक है। इस प्रकार बन संरक्षण 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु जगदलपुर से भानपुरी तक कुल 39.48 किमी. तक कुल रकबा 0.699 हैं. गैर वानिकी कार्य हेतु आप्टिकल फायबर केंबल बिछाने के लिए मांग की गई है।

कण्डिका क्रमांक 2

<u>प्रपत्र -1</u>

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत नवीन प्रस्तावों के अभिस्वीकृति हेतु प्रमाण पत्र

> वन मण्डलाधिकारी वंस्तर वन मण्डल वंबदसपुर

कण्डिका क्रमांक -3

वन क्षेत्र का विवरण

क्र.	वनमंडल का नाम	वनखण्ड का नाम /ग्राम का नाम	कक्ष क्रमांक / खसरा क्रमांक	संरक्षित क्षेत्र हे. में	आरक्षित वनक्षेत्र हे, में	राजस्व वनभुमि हे. में	योग हे. में
1.	Bastar	Kumhdakot	1718		0.029		0.029
2,	Bastar	Metawada	1333		0.026		0.026
3,	Bastar	Metawada	1334		0.070		0.070
4.	Bastar	Metawada	1335	u	0.028		0.028
5.	Bastar	Besrapal	1428	0.145	3-1-1		0.145
6.	Bastar	Sonarpal	1086	0.061			0.061
7.	Bastar	Karndola	1071	0.090			0.090
8.	Bastar	Metawara	283		705	0.003	0.003
9.	Bastar	Metawara	23			0.004	0.004
10.	Bastar	Metawara	21	7077		0.014	0.014
11,	Bastar	Metawara	7			0.016	0.016
12.	Bastar	Mahupal Barai	34			0.006	0.006
13.	Bastar	Mahupal Barai	1			0.005	0.005
14.	Bastar	Bastar	454/1			0.096	0.096
15.	Bastar	8alenga	696			0.005	0.005
16.	Bastar	Balenga	698			0.013	0.013
17.	Bastar	Chapka	235/1			0.021	0.021
18.	Bastar	Taragaom	417			0.007	0.007
19.	Bastar	Asana	132			0.008	0.008

		योग :		0.296	0.153	0.250	0.699
30.	Bastar	Bhanpuri	445	000	50	0.005	0.005
29.	Bastar	Bhanpuri	443	***		0.004	0.004
28.	Bastar	Taragaon	228	PRIZE	977	0.005	0.005
27.	Bastar	Taragaon	413		÷4	0.007	0.007
26.	Bastar	Taragaon	429	1 5555	200	0.002	0.002
25.	Bastar	Taragaon	432			0.006	0.006
24.	Bastar	Manjala	503			0.002	0.002
23.	Bastar	Manjala	514		222	0.003	0.003
22.	Bastar	Manjala	513	100	197	0.001	0.001
21.	Bastar	Mahupal Barai	85	244	282	0.002	0.002
20.	Bastar	Parchanpal	1	17071	277	0.010	0.010

कण्डिका क्रमांक - 4

गैर वन क्षेत्र का विवरण

इस परियोजना में गैर वन क्षेत्र निरंक है।

प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट स्केल 1:50000 पर

पेज क्रमांकसे...से संलग्न है।

कण्डिका क्रमांक - 6

वन क्षेत्र का इन्डेक्स मेप

पेज क्रमांकसे....से संलग्न है।

FORM-1V राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे प्रस्तावों को धारा 2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने प्रारूप

1	परियोजना ब्यौरे :	
	 उन प्रस्तावों तथा परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन 	रिलायंस जियो द्वारा जगदलपुर से
	जिसके लिये वनभूमि अपेधित है –	भानपुरी तक 0.699 हेक्टयर में ओ.
	ļ	एफ.सी. लाईन बिछाने हेतु
	2. अपेक्षिए वनक्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी हारा	आरक्षित वन –0.153
	 प्रञ्चयत किया जाना है, जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से कम	
	श्रेणी का अधिकारी नहीं हो}	ऑरेज एरिया — निरंक
		राजस्व वनगूमि 0.250
	İ	कुल ०.६९९ हेयटथर ।
	3. परियोजना की कुल लहमत — ——————————————————————————————————	80.00 लाख में
	4. परियोजना को वनक्षेत्र में लगाने का औचित्य, तथा इसके	अन्य उपयुक्त क्षेत्र उपलब्ध नहीं होने
	लिये जिन वैकल्पिक रथानों की जाँच की गई उनको दर्शाते	के कारण वनभूगि का आवश्यकता है।
	। हुऐ और नामंजूर करने के कारण बताएं जाएं —	
	5, वितीय तथा सामाजिक लाभ —	जन कल्याण एवं केन्द्रीय राजस्व में
		वृद्धि
	6. बुल लामान्वित होने वाली आसादी ···	सम्पूर्णं भारत
	7, सृजित रोजगार	आवश्यकता अनुसार
2	परियोजना स्कीम का स्थान :-	जगदलपुर से भानपुरी
	1. राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश —	छत्तीसगढ़
	2. जिला	। बस्तर
	3. बन प्रभाग, वनखण्ड, कम्पार्टमेन्ट —	संरक्षित वनभूमि कक्ष क्र. 1428, 1086 एवं 1071 रक्षा 0.296 हेक्टर आएक्षित कक्ष क्र 1718,1333, 1334 एवं 1335 रक्षा 0.153 हें. राजस्व वनभुमि कक्ष कमांक 283, 23, 21, 7 34, 1, 454/1, 696, 698, 235/1 417, 132, 1, 85, 513, 514, 503 432, 429, 413, 228, 443, 448

3	मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना /स्कीम के	आरक्षित वन –0.153
	लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा –	संरक्षित वन 0.296
		ऑरेज एरिया निरंक
	į	राजस्व वनभूमि – 0.250
ļ		कुल ०.६९९ हेक्टयर।
4	शामिल वनभूमि का ब्यौरा —	
	1. वन की वैधानिक स्थिति (नामतः आस्क्षित/	आरक्षित यन0.153
i	सुरक्षित/अवर्गाकृत आदि) —	संरक्षित यन 0.296
		ऑरेज एरिया — निरंक
! :		राजस्व वनभूमि — 0,250
İ		कुल 0.699 हेयट यर ।
	2. क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जात और प्राणीजात का ब्यौरा –	्संलग्न हैं।
· i	- 3, वनस्थिति की राघनता —	
	4. वृक्षों की प्रजातिकार तथा श्रेणीवार सार —	वृक्ष विदोहन नहीं होगा है।
!	5, भूभि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गभीर रूप	नहीं है।
	ं से क्षारित क्षेत्र का हिस्सा (भाग) है अथवा नहीं –	
	 क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रकृति 	नहीं हैं।
i	ें आरांक्षेत जीव मंडल रिजर्व आदि का एक हिस्सा (भाग) है,	! ;
	थिद हो तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें (मुख्य वन जीव	!
	वार्डन की विशिष्ट टिप्पणीयों को संलग्न करें)	!
	7. विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना/स्कीम के लिए	ओ.एफ.सी. केबल की भूमिगत बिछाना
ļ	अपेक्षित वनभूगि का मदयार ब्यौरा —	े है
į	i	0.699 हेक्टयर भूमि का उपयोग की
		जानी है।
	8. क्षेत्र में पाये जाने वाली दुलर्ग/संकटपत्र वनस्पतियाँ व	आवश्यक नहीं है।
	प्रत्णीजातों की प्रजातियां	
!	9. क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक वास स्थल है, या	अरवश्यक नहीं है
	उसके लिथे प्रजनन भूमि क। एक भाग है –	
ļ	10, प्रस्ताद के संगत क्षेत्र का कोई अन्य महत्व	अध्यक्ष नहीं है।
j¨ 5	परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौर	ा आवश्यक नहीं है।
ļ		; i
i	1. विरथापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	आवश्वक नहीं हैं ।

2. विस्थापित होने वाले अनुसूथित जाति / अनुसूचित सा	।वश्यक नहीं है।
जनजाति के परिवारों की संख्या –	i
3. विस्तृत पुनवार्स योजना –	विश्यक नहीं है।
6 क्षतिपूरक वन स्कीम के ब्यौरे -	
) १. क्षातिपूरक वनरोपण के लिए पहचान किये गर्थ गैर पनक्षेत्र । श	स्थिन द्वारा छूट प्रदान की गई है।
। अवक्रमित वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी.	
हिस्सों की संख्या प्रत्येक हिस्से का आकार –	
2. क्षतिपूरक वन रोपण के लिए पहचान किये गये वनक्षेत्र अ	एवश्यक नहीं है।
/अवक्रगित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीगाओं को दर्शाने	!
¡वाला मानचित्र –	
	नेरंक
रामथ सूची लागत दाचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक	!
वनरोपण स्कीम —	
4. क्षरिभूरक वनशेषण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	आवश्यक नहीं है।
5. वन रोपण के लिये क्षतिपूरक वन रोपण हेर्। पहचान किये	आवश्यक नहीं है।
मधे क्षेत्र की उपर्युक्ता के बारे में और प्रबन्ध की दृष्टि में	!
सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा	
हरता. किथे जायें जो कि उप वन संरक्षक की श्रेणी के नीचे 	
का अधिकारी न हो)	
6, क्षतिपूरक वन रोपण के लिये वनेतर भूमि उपलब्ध न होने	नहा ह।
के बारे में मुख्य सचिव से प्रगाण पत्र —	
7. पारेषण लाइनों के बारे में ध्यौरे केवल परिषण लाइनों के	अविश्यक नहीं है।
प्रस्तावों के लिये	-04.
1. परिषण लाईन की कुल लम्बाई —	नहीं हैं। ————————————————————————————————————
2. वसक्षेत्र के होकर गुजरने वाली लाईन की लम्बाई –	नहीं है।
3, मार्ग का अधिकार —	नहीं है।
4. निर्मित किये जानेह याले टायरों की संख्या –	नहीं है।
7. वनक्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले टावरों की राख्या –	नहीं है।
 विशेषण टावरों की ऊंचाई 	नहीं हैं।
7 सिंचाई/वन विद्युत परियोजनाओं के (केवल सिंचाई	नहीं है।
वन विद्युत परियोजनाओं के लिए	<u>i</u>

[1. कुल आबाह क्षेत्र	नही है।
!	2. कुल कमानु क्षेत्र –	नहीं है।
	3. कुल जलाशय स्तार —	नहीं है।
	4. उच्च बाढ़ स्तर —	नहीं हैं।
	5, न्यूनतम प्राप्ति स्तर —	नहीं है।
	 दिरोजना के आवाह क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा 	नहीं हैं (
	(वनभूमि, कृर्षि की गई भूमि, यारागृह भूमि, मावन आहादी	
: !	्तधा अन्य) —	
	7. उच्च बाद्ध स्तर पर जलमग्न क्षेत्र—	नहीं है।
	 पूर्ण जलाशय स्थल पर जलमन्न क्षेत्र - 	नहीं है।
	9, पूर्ण जलाशय का स्तर से 2 मीटर नीचे जलमरन क्षेत्र	नहीं है !
	10. पूर्ण जलाशय रतर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र (केवल	नहीं है।
	मझोली व बड़ी परियोजनाओं के लिये)	
!	11. न्यूनतम निकासी स्तर से जलमन्त्र क्षेत्र —	नहीं हैं।
İ	१२. विस्तृत आवाह क्षेत्र सुधार योजना	नही है।
	13, कुल विरोध परिव्यय क्षेत्र सुधार योजना के लिये निधियों	ं नहीं है !
!	की उपलब्धता के बारे में —	
8	सड़क /रेल लाईनों के बारे में ब्यौरे –	नहीं है।
9	केवल सड़क /लाईनों के प्रस्तावों के लिये –	नहीं है।
!	1, पट्टी की अपेक्षिल लग्बाई, चौड़ाई और वनक्षेत्र	नहीं है।
İ	2. सड़क की कुल लम्बाई —	नहीं है।
	3, पहले बनाई जा चूंकि सड़क की कुल लम्बाई –	नहीं है।
10	खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों	नहीं है।
İ	के लिये)	į
- 1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ा, कुल खन्दन पट्टा क्षेत्र और अपेक्षित वनक्षेत्र	नहीं हैं।
		। ः नही हैं।
· -		। ः नही हैं।
		। ः नही हैं।
	2. प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि — 3. वनक्षेत्र और गैर बनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/ कच्चे धातु का	। ः नही हैं।
	2. प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि — 3. वनक्षेत्र और गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/ कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार —	ਜ਼ਰੀ है। ਜ਼ਰੀ हੈ। ਜ਼ਰੀ ਫੈ। ਜ਼ਰੀ ਫੈ।
	2. प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि — 3. वनक्षेत्र और गैर बनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/ कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार — 4. खनिज/कच्चे धातु का वार्षिक अनुगानित उत्पादन —	ं नहीं हैं। चहीं हैं। नहीं हैं।

(

	िकिया गया है.(हां ∕ नही) यदि हां तो	
3	क्या अधिनियम का उंल्लघन करते हुये कोई कार्य	आवश्यक नहीं हैं।
	(हां/नही)	
	तो क्या उसके अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर दिये गये है	
2	क्या पर्यावरण स्वीकृति/अपेक्षित है (हां/नही) यदि हां	आवश्यक नहीं है ।
1	लागत लाभ विश्लेषण –	नहीं है।
	जल, वन, तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव –	i i
	15. भूमिगत खनन कार्यो में अपेक्षित अवतलन की मात्रा और	आवश्यक नहीं है।
	भण्डार की प्रक्रिया)	
	14. पुनः प्रयोग के लिथे ऊपरी सतह मिट्टी (उपरिमृदा) के	आवश्यक नहीं है।
	दूरी -	ļ
İ	उद्यानों, अभ्यारण्यों और जीव मंडल रिजर्वों के खनन की	
ļ	13. बारहमासी निर्दयों के मार्गी राष्ट्रीय राजमार्गी, राष्ट्रीय	! आवश्यक नहीं है
į	वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या	
-	12. खनन और सम्बन्धित गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने	! . आयश्यक नहीं है
	है –	
İ	दनक्षेत्र से बाहर शुरू/ रक्षापित न किये जाने के क्या कारण	į
	जिन गरिविधियों के लिये वनभूमि की गांग की गई है, उनका	
	11. परियोजना के तहत ऊपर (क) से (ज) तक उल्लेखित	 आवश्यक नहीं हैं
	ज. अपेक्षित वनक्षेत्र की चूर्ण भूमि उपयोग योजना	ਜੂਲੀ <u>है ।</u> -
:	छ. सड़क /रेल्वे मार्ग/ रज्जु मध्री का निर्माण —	नहीं है।
	च. शहर, आवास, कालोनियां —	਼ ਜ਼ਰੀ है।
	ঙ, भवनों, बिजलीधरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण	नहीं है।
i	घं. औजारो एवं मशीनों का भण्डारन	नहीं है
:	ग. अधिमार को जमा करना –	नहीं हैं।
L	ख. खनिज/कच्चे धातु का भण्डारन —	नहीं है
İ	क. खनन —	नहीं है।
· _	10. निम्नलिखित के लिये अधेक्षित वन्तभूमि का क्षेत्रफल —	नहीं हैं।
	9. नियुक्त की जाने वाली श्रमिकों की संख्या —	नहीं है।
- 1		

- 1	ा. शुरू होने की तारीख सहित उसके ब्यौरे –	नही है।
	2. अधिनियम के उल्लंधन के लिये जिम्मेदार अधिकारी –	नहीं है।
1111	3. गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई/की	नहीं है
i	जा रही कार्यवाही —	
200	4. क्या अभी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य	नहीं है।
	किया जा रहा है –	
4	कोई अन्य सूचना –	नहीं है।
15	संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के ब्यारे-	चेक लिस्ट अनुसार सभी दरतावेज
16	निम्नलिखित पहलुओं के बारें में संबंधित मुख्य वन	
	संरक्षक वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार अर्थात	
	1. इसमें सम्भिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी, जलाने, की	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
	लकड़ी, और अन्य वन उत्पाद –	
	2, क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी में	इस प्रकरण में लागू नही है।
	आत्म निर्भर है	
	3. निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रभाव —	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
	(क) ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
	(ख) आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और	इस प्रकरण में लागू नही है।
-51		

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उद्वेश्य के लिये सभी अन्थ विकल्पों का पता लगा लिया गया है और अपेक्षित क्षेत्र के लिये मांग वनभूमि की न्यूनतम मांग है।

> प्रविकृत अधिकारी मुद्दिकारण प्रधिकृत अधिकारी मुद्दे हुस्ताक्षर राज्य सरकाबदर्श्व मधिकारण

-ः प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप ::--

रिलायंस जियों इंफोकॉम लिमिटेड,रायपुर द्वारा देश के सभी जिलों ,तहसीलों व गांवों को दूरसंचार की आधुनिकम सुविधा प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में उपलब्ध सभी आधुनिक दूरसंचार सुविधायें (एस.टी.डी,इंनटरनेट,फैक्स,ई–मेल आदि) का गरोसेमंद मीडया "आप्टिकल फायबर केबल "है ओ.एफ.सी.बिछायी गयी है, वह छोटी से छोटी जगह भी आधुनिकतम दूरसंचार रोवाओं का लाभ ले रही है।

इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा की जगदलपुर से भानपुरी के बीच केबल बिछाना ताकि इस मार्ग पर पड़ने वाले सभी आबादी क्षेत्रों को यह सुविधा मिल सके । इस मीडिया के आने पर सभी संबंधित क्षेत्र देश के हर हिस्से से जुड़ जाएगें,तथा देश के किसी भी हिस्से से संबंधित क्षेत्र में संवार सम्भव हो जायेगा । वस्तुतः सम्पुर्ण भारत इससे लामान्वित होगा।

वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र

इस परियोजना हेतु वनसंरक्षण अधिनियम अंतर्गत 1980 पैरा 3.2 (8) के अनुसार कुछ प्रास्तावों वैकलपिक वृक्षारोपण आवश्यक नहीं है, विवरण संलग्न है।

3.2 Land for Compensatory Afforestation. -

į,

(i) Compensatory afforestation shall be done over equivalent area of non-forest land.

Clarification:- As a matter of pragmatism, the revenue lands/zudpi jungle/ Chhote/ Bade jhar ka jungle/ jungle-jhari land/civil – soyam lands and all other such categories of land, on which the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable, shall be considered for the purpose of compensatory afforestation provided that lands on which compensatory afforestation is proposed shall be notified as FR under the Indian Forest Act, 1927.

- (ii) As far as possible, the non-forest land for compensatory afforestation should be identified contiguous to or in the proximity of Reserved Forest or Protected Forest to enable the Forest Department to effectively manage the newly planted area.
- (iii) In the event that non-forest land of compensatory afforestation is not available in the same district, non-forest land for compensatory afforestation may be identified anywhere else in the State/Union Territory as near as possible to the site of diversion, so as to minimise adverse impact on the micro-ecology of the area.
- (iv) Where non-forest lands are not available or non-forest land is available in less extent to the forest area being diverted, compensatory afforestation may be carried out over degraded forest land being diverted and available nonforest land, as the case may be.
- (v) The non-availability of suitable non-forest land for compensatory afforestation in the entire State / Union Territory would be accepted by the Central Government only on the Certificate from the Chief Secretary to the State/Union Territory Government to that effect.
- (vi) An exception to 3.2(i) above, compensatory afforestation may be raised over degraded forest land twice in extent of the forest area being diverted/deserved in respect of following types of proposals:
 - (a) For extraction of minor minerals from the river beds. (However, if forest area to be diverted is above 500 hectares, compensatory afforestation over equivalent area of degraded forest shall be required to be done instead of twice the area being diverted subject to a minimum of 1000 hectare compensatory afforestation).
 - (b) For construction of link roads, small water works, minor irrigation works, school building, dispensaries, hospital, tiny rural industrial sheds of the Government or any other similar work excluding mining and encroachment cases, which directly

benefit the people of the – in hill district having forest area exceeding 50% of the total geographical area, provided diversion of forest area does not exceed 20 hectares.

- (c) For laying of transmission lines upto 220 KV.
- (d) For mulberry plantation undertaken for silk-worm rearing without any felling of existing trees.
- (e) For diversion of linear or 'strip' plantation declared as protected forest along the road/ rail/ canal sides for widening or expansion of road/ rail/ canal.
- (f) For laying of telephone/optical fibre lines.
- (vii) The field firing ranges, which are used temporarily by the defence establishments for arms practice, comprises, of safety zone encompassing the field firing range and danger area/ impact zone. Keeping in view that the impact area is only a small portion of the entire firing range and as an exception to 3.2 (i) above, compensatory afforestation may be raised over equivalent degraded forest land of the forest area being diverted for impact zone of the field firing range.

(viii) No compensatory afforestation shall be insisted upon in respect of the following:-

- (a) For clearing of naturally grown trees in forest land or in portion thereof for the purpose of using it for reforestation.
- (b) Proposals involving diversion of forest land upto one hectare. (However, in such cases, plantation of ten times the number of trees likely to be filled will have to be carried out by way of compensatory afforestation or any number of trees specified in the order).
- (c) For underground mining in forest land below 3 metres. (However, in respect of forest area required for surface right, compensatory afforestation shall be required as per relevant provisions).
- (d) Cases of renewal of mining lease, for the forest area already broken/used for mining, dumping or over burden, construction of road, ropeways, buildings, etc. For the balance area, compensatory afforestation shall be required to be done as stipulated, provided that no compensatory afforestation had been stipulated and done in respect of this area at the time of grant/renewal of lease earlier.

न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाणपत्र

मेसर्स रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर वनमंडल अंतर्गत जगदलपुर से भानपुरी तक 39.48 किमी. लंबाई में कुल 0.699 हैं, रकबा वन भूमि पर 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने हेतु मुख्य सड़क के समान्तर आप्टिकल फायबर केंबल बिछाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

0

उपरोक्त मार्ग में संरक्षित वनभूमि कक्ष क्र. 1428, 1086 एवं 1071 रकबा 0.296 हेक्टर आरक्षित कक्ष क्र 1718, 1333, 1334, एवं 1335 रकबा 0.153 हैं. राजस्व वनभुमि खसरा क्रमांक 283, 23, 21, 7, 34, 1, 454/1, 696, 698, 235/1, 417, 132, 1, 85, 513, 514, 503, 432, 429, 413, 228, 443, 445 रकबा 0.250 हैं. है, एवं सभी अन्य विकल्पों का पता कर लिया गया है।

अपेक्षित वनभूमि की मांग, रकबा 0.699 हेक्टेयर आवश्यक एवं न्यूनतम है।

पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाणपत्र

मेसर्स रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर वनमंडल अंतर्गत जगदलपुर से भानपुरी तक 39.48 किमी. लंबाई में कुल 0.699 हैं. रकबा वन भूमि पर 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने हेतु मुख्य सड़क के समान्तर आफ्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त मार्ग में कक्ष संरक्षित वनभूमि कक्ष क्र. 1428, 1086 एवं 1071 रकबा 0.296 हेक्टर आरक्षित कक्ष क्र 1718, 1333, 1334, एवं 1335 रकबा 0.153 हे. राजस्व वनगुमि खसरा कमांक 283, 23, 21, 7, 34, 1, 454/1, 696, 698, 235/1, 417, 132, 1, 85, 513, 514, 503, 432, 429, 413, 228, 443, 445 रकबा 0.250 हे. में 0.50 मीटर की चौड़ाई में 1.65 मीटर की गहराई में भूमि गत बिछाया जाना है । उपरोक्त प्रस्ताव हेतु पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं हैं।

(15) પણી મોલ્ટર્જીલ પ્રતામ-32004/90



भाग II — स्थ्रपट ३०० उप- खण्ड (II) PART II - Section 3 / Sub-section (ii)

ម្ហាមិនមួរ ម៉ូ មូតវ៉េទីន . PUBLISHED BY APTROBETY

(067)

्द रेहेन्स्से, अंत्रमानित्तमः भिराष्ट्रमः १४, २०७४/१८३ २२, १९२६ NEW DAJ III, TRUKSBAY, SEPTEMBER EI, 2006/BIIADR<u>A 73, १९२८</u>

प्रकाशिक अधि बन पंजालय

भित्रहरूमाना

नई (काली, 13 विकास) (1996

का अम. 1533(अ) — विद्यार सरकार मा किन्निय सरकार हार जराम यह संबंधित संघ सरकार प्रशासन के वरवार से प्रतिक्ष किन काने माने राज्य माने राज्य के स्थापन के प्रतिक्ष किन काने माने राज्य माने राज्य माने राज्य के प्रतिक्ष प्रतिक्षण के प्रतिक्षण के प्रतिक्षण (संक्षण) अधिनियम, 1986 वर्ष पता 3 की सम्बाद (3) के अधीन रूप मित्रिक्षण क्षण 18 मई, 2006 की अनुमोदित राज्य किनीत्व माने किनीत्व के स्थापन के अनुसार अने तक पूर्व प्रयोवश्रणीय अनुवर्धि अधिलेखा नहीं तो जाती है भारत के किसी मान भी, वई विश्वोजनाओं के किसी माने भी, वई विश्वोजनाओं के किसी माने भी, वई विश्वोजनाओं के किसी माने भी, वई विश्वोजनाओं के किसी माने किनी माने भी, वई विश्वोजनाओं के विश्वोजनाओं के विश्वोच अधिलेखां के अधिलेख के सक्षम प्रमोवश्रणीय स्थापन किनीत्व के स्थापन किनीति के स्थापन किनीति के अधिलेखां के स्थापन किनीति किनी किनी पत्र प्रतिक्षण किनीति के स्थापन किनीति किनी किनीति किनी पत्र प्रतिक्षण किनीति

ें अर्थर खनत अधिशुचना की प्रतिया 15 शितवर 2005 को जगता को एपानक करना दी गई थीं ; और उपन रास्तिस्थित प्रारूत अधिशृधना के खरार में आद सभी अधेकों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार में । सम्यक रका से विचार कर दिस्या है !

्या । (पंचा १ और १ देखें) पूर्व पर्धावरणीय अनापति की अनेक्षा मानी मण्योकचाओं यह क्रियाधनलामें की सूधी

- 	h	111111111111111111111111111111111111111	अवस्तिमः संस्ति प्रथम]	शर्त, गरि धरेंद हो
	i _	क्रियाकलाम		39	
1	_·	·— ·—·' কথন, ছাৰ		जलक्रता विकितील जल्हाता स	मता के लिए)
1	— (ন) 	—. — हो शुमित्र का स्टेन्ट		4 < 50 PPC장 : 는 등 한마는데도 78 3 시 바이스! 한국	5 सर्धारण शर्त लागू होगी हिन्दण खर्भिक पद्मार्थों के पूर्वसण (क्रिसम द्वितिय न हो) को छूट भ भई में वर्षीय कि प्रारंभिकक सर्वेद्यम के स्पि छूट साले सेता की पूर्व अनुभात हो भई है।
	i (.4)	क्यपात उद्देश संदर्भी ठेल शक्त मैश की श्लेष्ट, विकास उद्देश शुक्तपुन	. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		िध्यण सार स्रोज रावेधाण (जिसमें द्वित्रेण म हो) की सूद दी गई है वर्षत कि तास्तिक सर्वेद्धा के लिए इक्ष्ट माले बोजो की पूर्व अपुर्णित की
!! !!!!!!!!!	ī (ī)	जिक्का एक सः मिरियो जाया ए	(i) ≥,50 \$0510 ਯੂਲ ਬਿਧ੍ਰਚ ਦੁਲਾਬ੍ਵਰ (ਮੇਂ)≥10,000 ਵੈਂਹਚੇਗੇ ਬੀਾਬ ਸ਼ਾਮਬਿਰ	(i) <50 ≥ 75 गे0गात जल दियुम जल्महर (ii) <10,000 है0 खेती है क्षेत्रम्म प्रभावित हेंब्र	}
	1 (ष)	सार्थस्य विशुत संग्रंड	होध (कोयस: किन्सइट और वेष्या मेरा आपारित) ≥ 500 में या. > 50 में या. (पंटकोबा, डीजल और सभी अना ईशम)	(कोधलश्र जिल्लाइट/ र्नेक्था एवं केस अंश क्षेत्र) < 500 में या. (फेटकोगा, क्षेत्रज और स्वीर अन्य देधन) < 50 में, वर 25 में क्ष	
	1 (8)	अधिकात् द्रश्य का	सभी पश्चिमार	·	
; ; ;	2(क)	प्रत्यंश्वारण चोधला धीवनशालाए	प्राथमिक प्रसंश्करण ≥1 रिलियन तम/ वार्थिक धरेगले ह उत्पादन	त ८६ मिसियन टम्/ वार्षिक कोसले का उत्पन्दन	साधारण शर्त लागू संगी (यदि खनन क्षेत्र के अंदर स्थित है तो प्रस्ताद का मूल्यक्ष्मर खनम प्रयक्तय से साथ किया जनक स्वहिए)

्रिया व और 7 सेवे; पूर्व मधीवर्गांक कामधीन की अविधा कारी को जीन नवती का तेवन संस्थात की सुबह

: 5,	परियोक्तक भर	असम्बंधिः स्रोतिः हत्त्व		
_6.	্ টিল্ডাইন্ডে		•	
			·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·	: <u></u>
. *	!		· · · — — · - — —	
<u> </u>		भड़कीया संस्थापन का निरम्हर्सक आहर है। भारत	en samua i Ottoria della	En 1850an o k 1856)
		<u>, </u>		and street in 1997.
117	Taka Alama	रूप केंद्र भाव का <u>के</u> शुक्क	(1) 50 a w 1 a z	Togeth - The time
	•	FATO MENTY PROPERTY AND ADJUST	1 2 1 There are	i Prestro — sel Dirg Li Vi
		ট্রন্থীর উপস্থানে <i>প্রবাদ</i>	and the second section with the second section with the second section with the second section with the second section with the second section	Final C
	:	1	: " '	i diha dami shingsara
:	!	!		TRANSPORT
:			i	
			: .	रामिताचा सार्थित १८४० । इ.स.
	!	İ	:	20 25 FB 34 V
i				<u> </u>
	្រាំក្នុង មានស្ថិត ភ្លាំ ស្រែក ស្រែក ស	समी प्रतिकाशका	:	Allegia de Santa de Cara de Ca
	Dare Cale and April	1.		马克斯 医乳粉 经专
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I
:		•	Appendix and a second	्रे ^{के} टन के देह पूर्व देश ।
			:	ांचेन के के अपूर्वत की
		į	i '	- 1世界 :
	্ট তথ্য সেই চেইইসিন ([™]	<u> </u>	. i	
	20 1 11 11 11 11 11 11 11 11	(d) প্রশোধন জন জি _ল	10) 5 50 B 23 70 sta	三年表示(2007) 1987 年9
		े - १२०वर् स	Francisco de la companya della companya della companya de la companya de la companya della compa	· !
:	:	্টিটো এবং কেওটা এন্ড লেট্ড i —	Trust subtention garagement	
- 777 - 11	नक्षत्रीरश्री शस्त्र	: v -7	one make it	
	ात र स्पर्युत्त क्षराहर	(লাসকে মিনাক্রর প্রথম করা দ্ব	ইন্ট্রে <i>য়ে/বিশার্ম্পর</i>	ें राज्यर हिंद सम्भाति —
	· j	3450 kg ≥500 kg	(दे पित्र अस्त्राहित) द स्तृतः	
		2,58 % a	9.क	
i	:	টিনগ্ৰীক, প্ৰীক্ষত স্বতি লেই ভূকা	्विक्षांच्या विकास करते. स्थान	:
:	i	र्वस्थ)	· 其中 大利 17 % 可见 25	
			: F &	:
	जनारिक विदेशित — d	च्चार्थ (स्टब्स्ट क्वार्टिक च्या च्या च्या च्या च्या च्या च्या च्या		 .
	in the second second	•		
	সাদ্ধীত ইংশিষ্			
! :	८ स्तरू			
· ·,	·	- সংখালিক প্রথিক্তরতা		·
7 (e	भागक प्राप्तिक शहर पर्	2 : প্রতিষ্ঠা ৭৮/ লাখন জন্ম তা		1 8 T 1 8 T 1 T 2 T 2 T 2 T 2 T 2 T 2 T 2 T 2 T 2
		धरुवद्ग		9 - 8 m 1 0 / 8 m 1 日間
		;	, and the second second	
		:		
	!	;		The second of th
<u> -</u> :	<u>.</u> i			en de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de
	:		বন বিষ্টান্ত বা নাজীক কালাই যে ফেলাভ্র	

\overline{x}_i		088 08 00 1 E 68 1 00A <u>11</u>	C70409038A8N	
				संदर्भः शर्त सम् र्गाः
(57)		ইয়া ইন্তিল দল সাইন সভাই ।	্রন্ত জন্মন কর্মন জনকর । জনজন মাধ্যম কর্মন কর্মন	The state of the s
	:	জন প্রকারণ	SERVICE CHAMICAL PROBLEMS	इत्तर्भक्त इसक १८८३ के
i				had #40 200 M
				न्द्राचित्रः (क्रिक्सिंग क्रिक्स व्यक्त
:	:			হ পুরুষাক্তির বিভাজনী
			:	Defail
			: <u></u> :	····
		क्यारी अस्तावस	"	· . · · ·
. *		<u>च ्रह्मचंद्रेल प्रमुख्य रेल्वेन्</u>		:
	ಗುಳಗಳು :	स्त्र है व्यवस्थानकार्थ		
			retor years) (N. 1918))	र्वत्र अप्रकार विविद्याला की ।
		·····································	人名英格兰 新君	्रेन् प्र वेशकाः । १५ १ ५५
				<u> </u>
		ा) क्या प्रश्नु वर्गा (तरसाम् ५४०)	रहेता असू वासे अवस्थाना संदर्भ	
		৯৫১ ডি কভুণ প্রটম্পার্যার্থ ৮৫ <u>০</u>	া; তেওঁ নিগ্ৰহণ নীয় মা ^ন	.
			वासु रामध्य अन्त महो	
		কেন্দ্ৰীয়া ফান্স কলী ইন্যান্তৰ ল	<u>ਹਿਲਹਾ</u> ਤੀ - 420,000 - 7%	: '
:		সেল কেইল ইন্দিন্ত ^ই ল	5/401	· :
٠.			2) shou 神行 (25 /郊)	
. :			िलोक हुन् राने प्रशं कारण	
			৬৩% ত ২০১০ লা ১০ছিল	į
: •		:	व्यक्तिक स्ट्राहर हेन्स्य ।	िसंबर्धः सहै सहित्रहें
7.2	४८मेर, शंबर	कार्यिक शस्यासने धनता ≧ 1.0 । दिक्षियन अन	< ১.০ হিলেও ব্য	
:	:	: 1 4 6 8 2 2 2	বঢ় ২০০ হছৰিল কোচন	N AA L
:			के किए सार्ह	
15		मधार्यः प्रस्तिकृत्यस्य		
15	्र <u>श्रीतात स्</u> राप्तान्त्रीय	किंत क्षेत्रिकेवन्द्र १	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	े का समूच करान	:	< 1,60.000 kg	
			১ 25,550 এই ইয়েপ্স	!
	र प्राप्त करावे विकास स्थापना । जन्म	(न) इन्हिंदिनेतर्ष		
	দুন প্ৰেন্ত লেজ বৈ			
	- जाता - जाता	: !	: ;	
a(k)	±अवस्थाल कर्यो⊕	उत्सदन हमला है। अहमतन में की 🗒	हरशक्त अन्तरा ४ ३७० तन	िनिनिर्दितः स्टिनिनिन्नः इतिहासिनिन्नः
		1.5	री ही अंग उपिस् रि भ	্রিকে বা হল চলাত
:		**	िश्चारीक स्वपूर्णिक है। देवराध्या ३००	अव्यक्त स्वयं के अनुस
:	:	र हर प्राचितिक झेलाई _.	Section Sales	्रिक्ष दे असा अंत इस
				এটি মুখন ক্লয় ক্লিকেলিয়
:				१.५% होत्यामिको ४ विद्वहाँकः हेन्स्स हासी ।
			100	্টিকৈ জন ভারটি
	•	!		হিচানৰ ওলাই কা পুঞ
		:	<u></u>	

14		THE CASHATED: ISLUE E	0 <u>888</u> 89 <u>8</u> 9 <u>18</u> 9	(Free 3 - No. 2(4))
<u> </u>				 ·
F :	<u>र हो</u> ग्य		:	
5000	रीसी नदीत		कुरत केलों की अगर 2	वयवार्यः सस् साम् ।हर्षः
			500. <u>PR (Pro</u>	
1.70	টুমণ্ _গ াট		ন্দ বিশ্বীক্ষণ	संस्कृतक भर्त नायु शेवी
1	स्ट्ट्रीएको छ। भएकी ५		!	i
	इसे प्रश्ने धना व्यवस्थात		<u>:</u>	
8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	स्याः क्षेत्रहरू		··i
s(#;	रंग्हें अपरेट	स्था करि <i>विस</i> ार्	•	
:	क्रमाचन्द्रभक्षेत्रः प्र मानस		•	
	, পার্নিটি কে জেল জী			
	্পন্তিক কৃতিক			
	: कशिक्षातीत			
:	ेसहरूरकोल नेक्षो है	·	:	
	া মুক্তা হাড়া কন্ত ভাগি ।			: :
:	ুণীস প্ৰিক্স ভাগাই ইন্ডেম্ক্রডেটালিক ডাইড	!	:	i I
	Section Comments	; 		
!	दिस्करणे /पहो		:	
<u> </u>	समायन १५८/१) एकडा शहरसकरण और		भारत दलेक्टरार -	্যন্ত কোন্দ্ৰ কোন্দ্ৰীয়া
্ংকছ';	विकासम्बद्धाः स्टब्स्ट			1
	्राह्म सामाना । इस नामाना	!		į į
i	्राप्तसम्बद्धाः स्टब्स् इ.स.च्याचारा			!
:	fire-cose aff	:		:
	2000 88 R\$W\$35			
:	अभुक्तुरी ४ सीव ३ में	:	;	
	सुग्द 3 में जमगरिक्त			
	शहरीक बल्ह	:		i
ļ	র ১৮% চি ১দ্ভান		J	<u> </u>
-	· · · - · -	প্রক্রিকর্মি উন্সাধী ঘটিত স	টিটিটে জনক হ'বন্দি সংক্ৰমান সংক্ৰম	i · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
সংক্র		प्रश्नी रहियोजनाएँ	<u> </u>	- i
$7(\overline{r}_2)$:	एक्ष: गरियोक्षणरे		!
	্বিক্ষেপ্ত প্ৰকল		:	İ
·	्युध्यत् भी भृतिभागत् है ।	ः प्रश्लाहित डॉस्टोनिया संबन्धः ५ वर्गे	ੂੰ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਣਮ	ीहें इ.स. हिल् <u>ड से में</u>
7(2)		ो — । ।	Qual しゃ も まり ワジ	्र (राज्य
!	अंदर्गिकर सम्बद्धा/पार्क/स्वर्वेकर्	表现的 医二氏病 148 0 148 0 1 48 0 2 元 1	医三皮连 抗 校 医结束 解心 藍	्रिक्टा, हिन्द्राट न पन केन,
;	हार क्षेत्रकार प्राप्त के क्षेत्रकार के किल्का क्षेत्रकार के किल्का के किल्का के किल्का के किल्का के किल्का के इसके किल्का के किल्का के किल्का के किल्का के किल्का के किल्का के किल्का के किल्का के किल्का के किल्का के किल्का		ก แ ล้ว ผู้ส มเรอก ฮิซโดร ที่เ	ind firstly dones, :
	श्लिक्षा (१०००) व्यक्त करण स्ट्रीस्ट्रीन, प्रत्योती, व्यक्तिकरण	्राच्या १ स्टब्स्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्र		
	F 7	· ·	अविभिन्न सप्तारं केंस् ०	್ರವಣ ಧರ್ಮ-ಕ ಬಿ. ಶೈ
:	ಇದರು ಮಾರ್ಯಗಳು ಕೆಂ	, 520 ਵਿਚੰਬ ਾ ਦੇ ਵੜਤ ਤੇਸ਼ ਆ	ੇ SOL ਨਾਉਣ ਉਸ ਵਿਚਾ	े व्यक्ति की अध्यक्ति भर्ति
	ದೇವಿಗಳವರ ಅವೆ ಕಾಗಾಂ	े ऑडॉबेंट सम्बद्ध और फिल्में एवं	है। इस्ति के आपका के में कि	i ! A
	अधिकार	্থ্য হয় এই কিন্তু কৰা কৰিছে কি	ন আটা চল্লাল বহা গ	:
	1			<u> </u>
7(9)	े सांग्रास विस्थायस्य	प्रमा एक इस स्वेदार कि	ি চন্দ্ৰ পূৰ্বি সংখ্য কৰি প্ৰাপ	Amise #益 回版
1.12	्रायुक्तियः ५४००	्री स्वर्शकाल और मूर्यभेषा <i>या भेर</i> य	tal grand	:
:	, प्राक्षसम्बद्धाः और	अवस्थितराज आसी हा है		!
	ਜ਼ਿਕਤਾਰ ਜੁੜੋਵਾ।(•	!
	Nati Parab	: :		<u></u> . —

[eqs (v(e <u>z (C)</u>) ²	보기(공연) 구인 (원건)	21412 <u></u>	
7(८ एका ∜तनाइ	≥ इ. विक्रियन रहा चरित्र क्षेत्र की राह्यक्षेत्रक की धवरा (कर्चा बेबराइ) है (पेन्स्)	্ড কিং ১৮ চন ক্রাইজ কালি কা ২৮% গোল জী কালে জাল ২৯% গোল জী কালে জাল ২৯% গোল জীব কুম্মী কাল্ড গোল বিজ্ঞা	
1.15 T = 1.25 T	्रे गए ए-पूँच सक्तेमा और चे पर मिन्नों के स्थाप अवर्ष के प्राप्त कर्मामां का विकास किसी प्राप्त के दोनों कर किसी के स्थाप क्षित्रका 20 किस के स्थाप है और एक में मीमक सक्तों में गुप्तकों हैं।	है, का उन्हें प्रकारित और 2) २० (१९-१० के शाक रोड़े उन्हींचे स्वाप्त राज्यकों का विकास की है उन्हें के कैसे संस्कृतिकों की अधिकार (१० सैटर के राज्यकों)	सारक छिने हिन्दिसे
7(전 2002 대한 학교(인간 기간) 2002 전대 10대 (전환의 (프로(인 원.) 기준) 대학교(프로(인 원.) (전환) 대학교(프로(인 원.) (전환) 유학교(인 교육(인 유연)	:	स्ता व्यक्षित्रकर्ष इस्त विश्वत्रक्षाच्या उन्ने पश्चित्रक्षाव	संस्थातक होती कार्य होती संस्थातक अनी होत्य होती सामारक देखी होत्य प्रीमी
हा (१) जिल्हा १६ सम्बद्धीय वास्त्रीयालय	्रस्तः इतिमान् पश्चिमाण्यस्य त्या	े प्रकार की विकास विकास का बीट के रिकारिक की टीट के रिकारिक की	ा अकृत विक्रिया है। उन्हें किर्दिन क्षेत्र शास्त्राय वार कोट्यूकी युव्यिक के इस ने उस्त क्षित्र स्वत्राय के स सी इस्त्र त
अ्केट चर्का उपि शेष विकास अभियोज सर		े प्रतिकारिक संस्कृतिक स्थानिक जिल्ला	8 জি: ম একাৰ আমি 10 কৰা থ জন্মত প্ৰতিৰ ক্ৰিয়া ১ কুণ্ড

Silvers

प्रत्यासम्बद्धाः (स. ११ -)

ন্ধ প্ৰায় কৰিবলৈ কৈনি বাইনিকে কা কিয়াকে কা সাম কি চিক্ত কাৰণ এই কা চিক্ত () কা মীত কিছে। এইনিনে, প্ৰত্য নিজ্ঞান সামন্ত্ৰীক কাইনি কান () বুলকী ২০০২ক কা চিক্ত ক্ৰম নাইকে বাই হ'ব টানা কাই ইক্তি ইকে বিজ্ঞান কা স্থান কা বহু ইং (in) ক্ৰিকিকিছ ভাষাক্ৰীত ধন সামস্থিত হ'ব এই দেশ কৰিবলৈ কামাৰ কাৰ্যক্ৰীয় ইকে বিজ্ঞান ক্ৰম কিন্তিক্ত কা মীকা ক্ৰিকি কি কি এই বিজ্ঞান কাই নাইনিক হ'ব

विभिन्नेंद्र सन् (वि.स.)
विनि अर्थ पर ब्रिंग, व्रिंग,

्राप्तः भ∺नीत्ता, भंद्रास्त अस्ति

वृक्ष विदोहन का विवरण

आवश्यकता नही हैं।

N

(राजु अगसिमनि) (भा.व.सें.) वनमंडलाधिकारी वनमण्डल, बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़

काष्ट / बेनिफिट एनालिसिस

मेसर्स रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर वनमंडल अंतर्गत जगदलपुर से भानपुरी तक 39.48 किमी. लंबाई में कुल 0.699 हैं. रकबा वन भूमि पर 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने हेतु मुख्य सड़क के समान्तर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त प्रस्ताव हेतु काष्ट / बेनिफिट एनालिसिस की आवश्यकता नही है ।

(अमन कुमार सिंह) महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़

0


(राजु अगसिमनि) (मा.व.सें.) वनमंडलाधिकारी वनमण्डल, बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़

चयनित गैर वनक्षेत्र/निजी भूमि,राजस्व वनक्षेत्र का विवरण

आवश्यकता नही है ।

गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा

संलग्न है।



स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अनुमोदित दर्शे पर 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के)

आवश्यकता नहीं है।

वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र

आवश्यकता नही है।

अधिनियम उल्लंघन अन्तर्गत कार्यों का विवरण

बस्तर वनमंडल अंतर्गत जगदलपुर से भानपुरी तक 39.48 किमी. लंबाई में कुल 0.699 हैं. रकबा वन भूमि पर 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने हेतु मुख्य सड़क के सगान्तर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

(जी.आर.राव)

प.अ.जगदलपुर(सा.)

(पंकर्ण राजपूत)

(भा.व.से.)

परिविधाधीन प.अ.बरतर

्राह्म जे.नेताम)

प.अ.बकावण्ड

प.अ. भानपुरी

(एन.आर.खंटे)

उप वनगण्डलाधिकारी जगदलपुर उप वनमण्डल (टी. आर. मरई)

उप वनगण्डलाधिकारी बस्तर तप वनगण्डल जगदलपुर (राजु अगसिमनि)

(भा.व.से.) डलाधिकारी

वनमञ्जलाधकारा वनमण्डल बरतर, जगदलपुर

अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों

एवं कर्मचारियों का विवरण

बस्तर वनमंडल अंतर्गत जगदलपुर से भानपुरी तक 39.48 किमी. लंबाई में कुल 0.699 हें. रकबा वन भूमि पर 4 जी टेलीकॉम रार्विस प्रदान करने हेतु मुख्य सड़क के सगान्तर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही हुआ है तथा अधिनियग

उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।

(जी.आर.राव)

प.श.जगदलपुर(सा.)

(पंकज राजपूत)

(भा.व.से.)

परिविक्षाधीन प.अ.बस्तर

प.अ.बकावण्ड

(एन.आर.खंटे)

उप वनमण्डलाधिकारी जगदलपुर उप वनमण्डल प.अ. भानपुरी

(श. आर. गरई)

उप वनमण्डलाधिकारी -बरतर उप वनमण्डल जगदलपुर (राजु अगरिागनि) (गा.व.से.)

वनमंडलाधिकारी-वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही

बस्तर वनगंडल अंतर्गत जगदलपुर से भानपुरी तक 39.48 किमी. लंबाई में कुल 0.699 हें. रकबा वन भूमि पर 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने हेतु मुख्य सड़क के समान्तर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही हुआ है तथा इस हेतु किन्हीं भी

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तातिव नहीं है।

(जी.आर.राव)

प.अ.जगदलप्र(सा.)

(पंकज राजपूत)

(भा.व.रो.)

परिविक्षाधीन प.अ.बस्तर

प.अ.बकावण्ड

(एन.अंतर.खुटे)

उप वनमण्डलाधिकारी जगदलपुर उप वनमण्डल (कगल तिवारी) प.अ. गानपुरी

(टी. आर. मरई)

सप वनमण्डलाधिकारी

बरतर उप वनमण्डल जगदलपुर

(राजु अगरिामनि)

(भा.व.रो.)

वनगंडलाधिकारी वनगण्डल बस्तर, जगदलपुर

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र

आवश्यकता नहीं है।

कैचमेंट टीटमेंट प्लान

केयमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान की आवश्यकता नहीं है।

(अमन कुमार सिंह) महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़

रिक्लेमेशन प्लान

नहीं है।

बस्तर वनमंडल के अंतर्गत इस परियोजना हेतु रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता

(अमन कुमार सिंह) महाप्रबंधक (कार्पी. अफेयर्स) रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़

मार्डनिंग प्लान आर्ड.बी.एम. नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में)

बस्तर वनमंडल के अंतर्गत इस परियोजना हेतु आई.बी.एम. नागपुर द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

> (अमन कुमार सिंह) महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़

व्यवस्थापन प्लान

व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

(अमन कुमार सिंह) महाप्रबंधक (कार्पो, अफेयर्स) रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ

वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र । से IV तक)

बस्तर वनमंडल के अंतर्गत इस परियोजना से सम्बन्धित निरीक्षण प्रतिवेदन

संलग्न है।

(अमन कुमार सिंह) महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव (भारत सरकार के राजपत्रा अधिसूचना अनुसार) भाग—1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

	(VI 71701) 711	। द्वारा गर जान क लिय
1	परियोजना विवरण :	
I.	अपेक्षित वनभूमि के लिये प्रश्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	रिलायंस जियो इफोकाम लिमिटेड रायपुर द्वारा जगदलपुर से भानपुरी तक भूमिगत ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने हेतु 0.699 हेक्टयर वनभूमि की आवश्यकता है।
ž).	1:50,000 रकेल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनो की सीमाओं को दर्शाने वाला गैप	• संलग्न है।
IIE.	परियोजना की लागत	8000000.00 (अस्सी लाख)
iV.	वन क्षेत्रा में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	भूमिगत ओ.एफ.सी. बिछाने से बेहतर आधुनिक सुविधा प्राप्त हो जायेगे
ν.	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)	आवश्यक नहीं है।
VI.	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है	स्थानीय लोगो को रोजगार मिलेगा।
2.	कुल अपेक्षित भूमि उद्देश्यवार विवरण।	भूमिगत ओ.एफ.सी. बिछाने हेतु संरक्षित वन 0.296 , आरक्षित वन 0.153 हेक्टयर, ऑरेज एरिया निरंक एवं राजस्य वनभूमि 0.250 हें. कुल 0.699 हेक्टयर अपेक्षित हैं।
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	निरंक
l.	परिवार की संख्या।	निरंक
IL	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।	निरंक

m.	पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)	निरंक
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	नहीं है।
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा संसके अनुरक्षण और / या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्रा आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	आवश्यक नहीं है।
6.	निर्देशो के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रोों / दस्तावेजो का ब्यौरा।	चेकलिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज संलग्न है।

(अमन कुमार सिंह) महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़

तिथि :--स्थानः--

> प्रस्ताव की राज्य क्रमांक संख्या — (प्राप्ति की तारीख के साथ नोजल अधिकारी द्वारा भरा जाये)

वन संरक्षक अधिनियम 1980 के तहत् वन भूगि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव (भारत सरकार के राजपंत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम रांख्या FP/CG/Other/20422/2016

7. परियोजना / रकीम का रथान

. 3	7. 4K410111/ K4761 471 K4111					
1	(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़ राज्य				
. L	(ii) जिला	बस्तर				
	(10) वन प्रभाग	बस्तर वन मंडल जगदलपुर				
ŀ	(w) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन मूमि का	0.699 हे.				
	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	Timber second carry or sign dates are a				
	(v) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 1428, 1086 एवं 1071 एकबा				
		0.296 हेक्टर आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 1718, 1333,				
		1334, एवं 1335 रकबा 0.153 हैं. एवं राजस्व वनमूमि खसरा				
		क्रमांक 283, 23, 21, 7, 34, 1, 454/1, 696, 698, 235/1,				
		417, 132, 1, 85, 513, 514, 503, 432, 429, 413, 228, 443.				
		445 रकबा 0,250 हैं, कुल रकबा 0.699 है. आप्टिकल फायबर				
		केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित है।				
	(vi) हरियाली का धनत्व	0.4 से 0.7 तक				
	(vii) प्रजाति—वार (वैज्ञानिक नाग) और					
Í	परिधि श्रेणीदार वृक्षों की परिगणना (सलग्न	वृक्षों का विदोहन नहीं किया जायेगा।				
	की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं	***				
٠. ا	के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल-2					
:	भीटर की परिगणना और एफ आर एल 4					
	भीटर भी संलग्न किए जाए)					
	(viii) भू—क्षरण के लिए वन क्षेत्र की	नहीं !				
	संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी					
	(ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए	प्रस्तावित स्थल वनभूमि है।				
	प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से					
:	अनुमानित दूरी					
	(x) क्या फार्ग राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव	नहीं।				
	अभ्यारण्य,जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व,					
	हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हां,	***				
	क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव धार्डन	· .				
• •	की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	·				
	(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की	नहीं।				
٠.		<u> </u>				

दुलर्भ / सकंटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां / तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	
(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्थ महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में रिथत है। यदि हां, तदत्संबंधी प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ , यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं ।
प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जाचे गए विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अविधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहें है।	न हीं
 (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अगिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/ आस पास के वन से इसकी दूरी, भू—खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू—खण्ड का आकार। (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रित वन क्षेत्र, और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता गैप। (iii) रोपितं की जाने वाली प्रजातियों सिंहत प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, रामय अनुसूची लागत ढांचा आदि। (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीग के लिए कुल वितीय परिव्यय। 	आवश्यक नहीं । आवश्यक नहीं ।
(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टि से सक्षमप्राधिकरण से प्रगाणपत्र (संबंधित वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	आवश्यक नहीं ।
11. जिला वन संरक्षक की रथल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषत उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों के दशति हुए (रालम्न करें)	4 0 0 0 1
12. विभाग/जिला प्रोफाइल (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4091.000 वर्ग कि0मी0

and the

-	- ·		आरक्षित वन — 1083.761 वर्ग कि.मी.
:	(iī)	जिले का वन क्षेत्र	·
			संरक्षित वन — 661.326 वर्ग कि.मी.
·			असीमांकित वन <u>466.720 वर्ग कि.भी</u>
٠,		Maria da de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la compa	<u>2211.807</u> वर्ग कि.सी.
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ļ. · ·			
			:
	(iii)	भामलों की संख्या सहित 1980 से	कोसारटेडा गध्यम सिंचाई
		वनेतार प्रयोग में लाया गया कुल	परियोजना — 595.630 है0
		वन क्षेत्र	प्र0मं0गा0स0याः। गिट्टी उत्खनन ग्राम
			चिडियापाल,डिलिमेली, इरपा — 2.400 हे0
· ·			बी0आर0ओ0 संडक चौडीकरण - 37.031 है0
.:.			i .
			सर्वेक्षण संग्रहालय निर्माण — 0.789 है0
1.			रेल लाईन निर्माण —10.763 है0
1			भोण्ड जलाशय — 0.630 है0
1		All and the second	पीठापुर जलाशय, — 7.860 है।
			तारापुर जलाशय —19.448 है0
			रक्षा अनुसंधान एवं —132.598 है0
			विकास
			पुलिस यौकी निर्माण —0.900 है0
			पानी पाईप लाईन निमार्ण —25.720 है0
			विद्युत लाईन निर्माण —4.712 है0
			जल विद्युत परियोजना —19.718 है0
			योग 858.199 है0
	(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित	· ·
:]		कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
		(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक	नहीं ।
1		वनीकरण सहित वनगूमि।	The chart of the same of the s
· . [(ख) वनेत्तर भूमि पर	- - 0
: :		~ _ ~ _ ~	नहीं।
	(v)	तक प्रति पूरक वनीकरण में हुई	
		प्रगति	
		(क) वनम्भि	
· [ˈ			वैकल्पिक वृक्षारोपण — 5635.000 है0
		And adversarial will	आर.डी.एफ — 6200,000 हे0
		(ख) वनेरतर भूमि पर	<u>योग</u> <u>– 11835.000</u> है0
			30.00 हेक्टेयर
· [_		·	

13. प्ररताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

आवेदक रिलायंस जियो इफोकाम लिमिटेड रायपुर द्वारा जगदलपुर से भानपुरी तक लम्बाई लगभग 39,48 कि.मी. रांरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 1428, 1086 एवं 1071 रकबा 0. 296 हेक्टर आरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक 1718, 1333, 1334, एवं 1335 रकबा 0.153 हे. एवं राजस्व वनभूमि खसरा क्रमांक 283, 23, 21, 7, 34, 1, 454/1, 696, 698, 235/1, 417, 132, 1, 85, 513, 514, 503, 432, 429, 413, 228, 443, 445 रकबा 0.250 हें. कुल रकबा 0.699 हे. वनभूमि /राजस्व वनभूमि में आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित है। अतः वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु अनुशंसा एतद द्वारा की जाती हैं।

दिनांक:-

स्थान:-

(राजु अगसिमनि)

भा व से

वनमण्डलाधिकारी बस्तर वनमण्डल , जगदलपुर

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों भें प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हेक्टेयर में

बस्तर वनमण्डल जगदलपुर के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत रवीकृत प्रकरणों में निम्नानुसार वन भूमि प्रगावित हुआ है।

				•
कुमा	आंवेदित विभाग	परियोजना का नाग	वन भूगि	भारत शासन का स्वीकृति आदेश कं.
an			रकबा (हे.में.)	-
1	सिंचाई विभाग	मोण्ड जॅलाशय	0.630	क.8-493/84/एफ.सी दिनांक 27,05.89
2	सिचाई विमाग	पीठापुर जलाशय	7.860	क.8-374/84/एफ.सी दिनांक 15.05.94
3	सिचाई विभाग	तारापुर जलाशय	19.448	क.8−327 / 84 / एफ.सी दिनांक 13.07.89
4	रक्षा विमाग भारत सरकार	रक्षा अनुसंधान	132.598	क .8-11/95/एफ.सी दिनांक 24.08.99
		एवं विकास		
5	जल संसाधन संभाग	कोसारटेड्। मध्यम	595.630	क.8-203/88/एफ.सी दिनांक 24.08.98
		सिंचाई परियोजना		
6	प्र.म.क्षा.स.थो. ग्राम	गिट्टी उत्खनन	2.400	क.6-493 / 84 / सी.एच.सी. / 032 / 05-वी.
	उडियापाल इरपा डिलमिली			एच.ओ. / 1977
				क.६–४९३ / ८४ / सी.एव.सी. / ०३१ / ०५ – बी.
			***	एघ.ओ. / 1972 दिनांक 29,09,05 दिनांक
			: :	29.09.05 एवं
			: .	क. 6-सी.एच.सी./028/05-बी.एच.ओ.
				/ 1975 दिना क 29.09.05
\$ 1.34			*	\$ ·
7	થી ા લાજા	ेसडक चौडीकरण	37.031	कं.8-143/03/एफ.सी दिनांक 27.02.04
8	भारतीय मानव विज्ञान	सर्वेक्षण राग्रहालय	0.789	क.6-सी:एच.बी. / 048 / 07-बी.एच.ओ.
		निर्माण		/2588 दिनांक 20.10.09
9	एन,एम.डी.सी.	रेल लाईन निर्माण	10.763	क.6-सी.एच.बी./035/06-बी.एच.ओ./876
		· .	:	दिनांक 17.05.10
10	गेरार्श Chhattisgarh Energy	24.75 मेगावॉट	19.718	क. / ६–सी.एच.सी. / 015 / 2009–बी.एच.ओ.
	Consortium (India) Pvt,Ltd.	माडेर–1 जल		/ 2935 दि. 21.04.2011
	Raipur	विद्युत परियोजना		
111	परियोजना प्रबंधक एन.एग.	इंटीग्रेटेड स्टील	25.720	क्मांक/6-CHC/012/2010-BHO/3034
	डी.सी. आयरन एण्ड स्टील	प्लांट निर्माण हेतु		दिनांक 06.05.11
	प्लाट, नगरनार	(संज्ञाम्भि ६,800 एवं रा.वनसूर्य 23.520)	, y	Ģ

-			15		
		परचनपाल	1		E & X **
1		मेटावाड़ा	79, 7, 21, 23	3, 283	
		आसना	132	¥	-
		योग		in the second	0.699
6	आवेदित वनक्षेत्र में वनों की वर्तमान f	रेथति एवं प्रकार	क्षेत्र की साई 0.4 से 0.7 त		iva एवं Ivь तथा घनत्व
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	h 170 c	वृक्षों का विदो	हन नहीं किया	जायेगा।
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन	की स्थिति	अपर्याप्त।		e va
9	आवेदित क्षेत्र की (विषेष कर खनिर मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी. / वनमार्ग आदि) रुप से गानचित्र में भी अंकित करें।	장면하다 하면 보다 한 사람이 모든 그렇게 되었다면 하다 하다.	आवश्यकता -	नहीं है।	0 € * - 42 5
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र (राष्ट्र बायेरपेयर रिज़र्व, प्राकृतिक झील/व सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सी के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां	ाटर बाड़ी, आदिवासी गा के 10 वर्ग कि.गी.	NINGAWA	r S	
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य के रुप में प्रस्तावित गैर वानिकी अथवा नहीं (विषेषकर खनिज र आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 व वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष	कार्य हेतु उपलब्ध है उत्खनन प्रकरणों में र्ग कि.गी. क्षेत्र में गैर			A E
	राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदा	नों की संख्या)	i i i		199
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा आर्थ किया गया है या नही ? यदि हां तो		नहीं।		807 1-1

प्रमाण-पत्र_ः

प्रमाण—पत्र उपरोक्त <u>जानकारी ∕ विवरण</u> मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई बन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

रथान':-दिनांक :-

(राजु अगसिमनि)

भा.व.से

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वनभूमि प्रतयावर्तन के प्रस्ताव (भारत सरकार के राजपत्र अधिराचना अनुसार)

भाग -3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा जाना है)

1.	स्थल जहां की व निरीक्षण किया है प्रक्षणों को निरीक्ष	है। (हॉं / नहीं)	यदि हॉ तो	निरीक्षण व	। सबंधात ग्री तारीख	वन संरक्षक ने और किए गए
						,,
. :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
			•			
	· :					
					,	
				, A s	• • •	
2.	वया संबंधित वर		(ख) में दी	गई सूचना	और उपं	वन संरक्षक के
	सुझावों से सहम	त है।				
					•	
3	्रप्रस्ताव की स्वीव	कृति या अन्यथ	ा के बारे भें	संबंधित वन	संरक्षक की	विस्तृत कारणों
	के साथ सिफारि		•			
		7 as 1		.5		•••••
		***************************************		•••••••••••		
		.,:				
			:			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. \$		हस्ताक्षर
			·			2 1111313
		· ·			नाम	
	दिनाक —	· ·				
··.	स्थान :-					
	74H T "					

सरकारी मोहर

ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र

प्रस्तावित भूमि पर ऐतिहासिक महत्व का स्थल नहीं हैं।

(राजु अगसिमनि) (भा.व.सें.) वनमंडलाधिकारी वनमण्डल, बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़

(अमन कुमार सिंह) महाप्रबंधक (कार्पी. अफेयर्स) रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़

संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति पत्र

संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

(अमन कुमार सिंह) महाप्रबंधक (कार्पी अफेयर्स) रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़